पीबीएम परिसर में चार माह के लिए रैन बसेरा सुविधा शुरू

■ गोमा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट, रोटरी रॉयल्स व मारवाड़ जन सेवा समिति द्वारा रैन बसेरा शुरू किया। पीबीएम अस्पताल में बाहर से आने वाले रोगियों के साथ रहने वाले परिजनों के लिए यह व्यवस्था होगी

बीकानेर, (कासं)। गोमा देवी चेरिटेबल ट्रस्ट, रोटरी रॉयल्स व मारवाड़ जन सेवा समिति द्वारा पीबीएम परिसर में चार माह के लिए शुरू की गई विशेष रैन बसेरा सुविधा के शुभारंभ पर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. अखिल रंजन गर्ग, एसपीएमसी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र वर्मा और पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने संयुक्त रूप से कहा कि यह रैन बसेरा हजारों लोगों को राहत देगा।

आगे आने वाले चार माह सर्दी के होंगे और पीबीएम अस्पताल में बाहर से आने वाले रोगियों के साथ रहने वाले परिजनों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण जनसेवा है। इसके साथ ही अन्य जरूरतमंद व्यक्ति भी इस सेवा परिसर में रात बिता सकते हैं। यह पुनीत कार्य बीकानेर की सेवा भावना को परिभाषित करता है।

रैन बसेरा सेवा में आयोजक समितियों द्वारा चाय, नाश्ता, बिस्किट और गर्म पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे शिविर की उपयोगिता विशेष राहत देने वाली होगी। सेवा शिविर के शुभारंभ पर गोमा देवी ट्रस्ट व रोटरी रॉयल्स के अध्यक्ष सुनील चमड़िया ने बताया कि तीनों विशेष आमंत्रित अतिथियों ने आज रैन बसेरे का फीता काटकर शुभारंभ किया तथा शिविर का अवलोकन कर ढांचा व्यवस्था देखी।

शिविर में विद्युत, सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी कैमरे, निवासित होने वाले लोगों की रजिस्टर प्रविष्टि, शिविर में उपलब्ध बिस्तर, तकिया, रजाई और अन्य सुविधाओं का भी उन्होंने जायजा लिया तथा शिविर परिसर में स्थापित मंदिर में देव मूर्तियों के समक्ष पुष्प अर्पित कर आयोजकों को इस नेक कार्य के लिए साधुवाद दिया। ऐसे कार्य नियमित रूप से होते रहने की प्रेरणा दी।

मारवाड़ जन सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश व्यास ने बताया कि नगर निगम के सहयोग से आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को सर्द रातों में सुरक्षित, गर्म और आरामदायक ठहरने का स्थान उपलब्ध कराना है। शिविर में 400 लोगों के रात बिताने की व्यवस्था की गई है, जिसमें रजाई, बिस्तर और तकिया निशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा।

क्लब सचिव रोटे. विपिन लड्ढा ने बताया कि रैन बसेरा में रात बिताने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा तथा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। यह शिविर चार माह नियमित रूप से संचालित होगा और शिविर में साफ-सफाई की पूर्ण व्यवस्था रखी जायेगी। सभी निवासित व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण बिस्तर, रजाई और तकिया उपलब्ध करवाए जायेंगे।

महिला वकील से 85 लाख की ठगी

श्रीगंगानगर, (कासं)। एक महिला वकील से उसकी बेटी को विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों रूपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला की बेटी को कनाडा का स्टडी वीजा बनाकर विदेश भेजने का झांसा दिया और पैसे हड़प लिए। मामला श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को दी रिपोर्ट वंदना मंडा निवासी श्रीगंगानगर ने बताया कि आरोपी प्रकाश गोदारा निवासी धौलीपाल (हनुमानगढ़) उनके परिवार से नजदीकी पारिवारिक संबंध रखता था। वह उसे बहन मानता था।

चोरी का फरार आरोपी 31 साल बाद गिरफ्तार

सूरतगढ़, (कासं)। सूरतगढ़ सिटी थाना ने चोरी के एक पुराने मामले में 31 वर्षों से फरार चल रहे भगोडे अपराधी को उत्तरप्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी सुधीर पांडे (52) पुत्र रामनरेश पांडे उत्तरप्रदेश के इटावा जिले के पुलिस थाना औरैया के गांव कदोरा का निवासी है। उसे कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।

थानाधिकारी दिनेश सारण ने बताया कि आरोपी सुधीर पाण्डेय 1994 में थाने में मुकदमा संख्या 37/1994, धारा 381 (चोरी) में वांछित था। वह घटना के बाद से फरार हो गया था और भगोडा अपराधी घोषित किया गया था। बीकानेर रेंज के महानिरीक्षक हेमन्त शर्मा, पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर सिंह और वृत्ताधिकारी प्रतीक मील के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत उन्होंने विशेष टीम गठित की।

सार-समाचार

कुलपति को 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

बीकानेर, (कासं)। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक और तकनीकी अव्यवस्थाओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने नारेबाजी करते हुए कुलपति को 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय रिवोल्यूशन पोर्टल के नाम पर छात्रों से मनमानी वसूली कर रहा है। बिना जांचे उत्तरपुस्तिकाएं फेल घोषित की जा रही हैं और परीक्षा के दौरान गलत प्रश्नपत्र वितरण जैसी गंभीर लापरवाहियां हो रही हैं। छात्र नेताओं ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी तय करते हुए उसे तत्काल हटाया जाए और नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाए। साथ ही सत्रों के विलंब, ई पोर्टल की तकनीकी खामियों, विश्वविद्यालय में कैमरे, खेल प्रतियोगिताओं में पारदर्शिता, छात्रवृति की समस्याओं के समाधान जैसी मांगें उठाई गई।एबीवीपी ने प्रशासन को 10 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर विश्वविद्यालय स्तर पर हड़ताल की चेतावनी दी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हरीश सहारण, प्रांत राज्य विश्वविद्यालय सह-संयोजक रेवंत सिंह राठौड़, छात्र नेता राकेश गोदारा, तन्मय महानंद, प्रांत सोशल मीडिया सह-संयोजक आदित्य व्यास, महानगर सह-मंत्री भागीरथ गोदारा, योगेन्द्र सोलंकी, शालू गहलोत, दिनेश चौधरी, भरत सारस्वत, कालूसिंह, मीतू गहलोत, सानिया पंवार, प्रियंका सहित अनेक विद्यार्थी उपस्थित थे।

अवैध बायोडीजल पकड़ा

नोखा, (कासं)। पुलिस ने अवैध बॉयोडीजल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक वाहन से बॉयोडीजल जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 1 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। बाद में, आरोपी की निशानदेही पर 30,000 लीटर बॉयोडीजल भी जब्त किया गया। टीम ने तालरिया बास रासीसर में एक योद्धा वाहन को रोका। इस वाहन में एक टैंक बना हुआ था, जिसमें नोजल और पंप सेट लगा था। वाहन में भरे बॉयोडीजल को जब्त कर ड्राइवर रूपाराम बिश्नोई (32) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बॉयोडीजल की बिक्री से मिली 1 लाख रुपए की राशि भी जब्त की और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गिरफ्तार आरोपी रूपाराम से गहनता से पूछताछ की गई। उसने बताया कि बॉयोडीजल बीकासर रीको से लाया गया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक भूखंड पर बनी चारदीवारी के भीतर अंडरग्राउंड स्टोरेज चेक किए। वहां मोटर पंप के साथ तीन टैंक मिले, जिनमें भारी मात्रा में डीजल भरा हुआ था। सैंपलिंग की कार्रवाई के लिए वृताधिकारी नोखा और रसद विभाग को सूचना दी गई। तीनों टैंकों से कुल करीब 30,000 लीटर बॉयोडीजल जब्त किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस टीम में उप निरीक्षक तनसुखराम, राउनि टीकूराग, हेड कॉन्स्टेबल नत्थाराम, कॉन्स्टेबल गणेश, खुशराज और महेन्द्र शामिल थे।

बीकानेर में ठंडी हवा से सर्दी बढ़ी

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर में न्यूनतम तापमान अब 12 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। जबकि अधिकतम तापमान भी 31 डिग्री से नीचे आने लगा है। शाम होते ही गांवों में लोग गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं। सुबह नौ बजे तक ठंडी हवा का असर बना रहता है। स्कूल जाने वाले बच्चों में ठंड बढ़ने का असर साफ दिख रहा है। कई बच्चे स्वेटर और ब्लेजर पहनकर आ रहे हैं। छोटे बच्चों को घर पर भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। बता दें कि बीते 24 घंटे में पारा बीकानेर में सामान्य से कम रहा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ये भी सामान्य से करीब एक डिग्री सेल्सियस कम है। मैदानी क्षेत्रों मे ठंडी हवा का अहसास ज्यादा हो रहा है।

हंसेरा स्कूल में शिक्षकों के पद नहीं भरे तो तालाबंदी

■ विज्ञान, गणित, हिन्दी और संस्कृत विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं

लूणकरनसर,(कासं)। लूणकरनसर उपखंड क्षेत्र के राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल हंसेरा में शिक्षकों की कमी से 240 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी माह अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में पर्याप्त अध्यापकों की अनुपलब्धता छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों के रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय पर शिक्षकों के पद नहीं भरे गए तो वे स्कूल में तालाबंदी कर देंगे। विद्यालय में कक्षा एक से 12 तक कुल 240 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 188 छात्राएं शामिल हैं। वर्तमान में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, विज्ञान, गणित, हिन्दी और संस्कृत विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। अक्सर एक शिक्षक को स्कूल के आवश्यक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे पठन-पाठन और भी बाधित होता है। ग्रामीणों ने बताया कि गणित विषय का पद पिछले लगभग तीन वर्षों से रिक्त है।

अवैध कनेक्शन काटने अभियान चलाया

बीकानेर, । जलदाय विभाग की जल वितरण पाइप लाइन व राइजिंग मैन में उपभोक्ताओं द्वारा किए गए अवैध कनेक्शन काटने और शास्ती लगाने की कार्यवाही प्रगति पर है। विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री खेम चंद सिंगारिया ने समस्त अधिशासी, सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं को अवैध कनेक्शन काटने एवं बकाया राजस्व की वसूली की कार्यवाही में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अभियंता अपने क्षेत्र के सभी अवैध कनेक्शन काटेंगे एवं इन्हें विच्छेद अथवा शास्ती लगाएंगे उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिले में 1 अप्रैल से अब तक 2023 अवैध जल संबंध विच्छेद किए गए। पिछले सप्ताह बीकानेर शहर के मुरलीधर व्यास कॉलॉनी, चौखुटी मोहल्ल, सवीदय बस्ती, चौधरी कॉलोनी, गोपेश्वर बस्ती, लाल गुफा रोड, धोबी तलाई, रानी बाजार, जेल रोड, विनायक नगर, भीनासर आदि क्षेत्रों में 27 अवैध जल संबंध विच्छेद किए गए। उन्होंने अवैध कनेक्शन करने वालों के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध जल संबंध विच्छेद करते समय किसी प्रकार की सरकारी सम्पति को नुकसान पहुचता है, तो उसकी भरपाई उपभोक्ता से करने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने एवं जब से उक्त कनेक्शन अवैध रूप से चल रहा है।

सैटेलाइट अस्पताल में बेबीकिट का वितरण

बीकानेर, (कासं)। मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा प्रकल्प के तहत महावीर इन्टरनेशनल गंगाशहर ने बीकानेर सैटेलाइट अस्पताल में 50 बेबीकिट का वितरण किया।

डॉ अमृता भार्गव ने प्रसूताओं को बेबी किट के उपयोग से होने वाले लाभ की जानकारी दी एवं महावीर इन्टरनेशनल गंगाशहर द्वारा किये गये सेवा कार्य की सराहना की। उन्होंने कामना करी की आप लोगों का सहयोग यूं ही प्राप्त होता रहेगा।

इस अवसर पर वीर कन्हैयालाल बोथरा, वीर कल्याण चंद चौपड़ा , वीर चंद्र कुमार राखेचा, वीर बच्छराज रांका,डॉ दिव्या मोहता, डॉ अमित अरोड़ा,सुमन पंवार,राजश्री चौहान उपस्थित रहे।

राजस्थानी काव्य संग्रह का लोकार्पण

बीकानेर, (कासं)। शब्दरंग साहित्य एवं कला संस्थान के तत्वावधान में होटल राजमहल में कवयित्री कृष्णा वर्मा के हिन्दी काव्य संग्रह 'उड़ने को बेताब मन' एवं राजस्थानी कविता संग्रह 'हिये रा रंग हजार' का लोकार्पण किया।

कार्यक्रम में कृष्णा वर्मा ने पुस्तकों की चुनिंदा कविताएं प्रस्तुत करते हुए अपना रचनाकर्म साझा किया। कार्यक्रम में वर्मा का सम्मान किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्थशास्त्री, व्यंग्यकार संपादक डॉ. अजय जोशी ने कहा कि कृष्णा वर्मा संवेदनशील रचनाकार है जिनकी कविताओं में प्रकृति, संस्कृति और समाज की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रेम काव्य का आधार होता है जो कवि मन को रचने को बाध्य करता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष कवि-कथाकार राजेन्द्र जोशी ने कहा कि वर्मा की कविताओं में नारी विमर्श और संवेदना है। उन्होंने कहा कि उनकी कविताओं में प्रेम और प्रकृति और जीवन के गहन अनुभव है। पुस्तक में सावन भादो पर ढेर सारी रचनाएं है।

उन्होंने कहा कि कवियत्री के जीवन के 73 वर्ष के बाद दो पुस्तकों का प्रकाशन सराहनीय है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ लघुकथाकार समीक्षक अशफाक कादरी ने कहा कि श्रीमती वर्मा की कविताएं समय से संवाद करती है। उन्होंने कहा कि अति आधुनिकता की दौड़ में खोए हुए लोकरंग को कवियत्री ने अपनी कविताओं में बखूबी बयान किया है।

कार्यक्रम संयोजक कवि-कथाकार राजाराम स्वर्णकार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि श्रीमती वर्मा सशक्त रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं लंबे समय से पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। कवि बाबूलाल छंगाणी ने लोकार्पित पुस्तक 'उड़ने को बेताब मन' की काव्यात्मक समीक्षा प्रस्तुत कर नवाचार किया।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/4486 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 11-11-2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड वाके चक 6 ई छोटी मुरब्बों नं. 27 के किला नं. 17 में भूखण्ड सं. 40 माप 25'-0''गुणा 47'-6''फीट एवं भूखण्ड सं. 41 माप 25'-0''गुणा 47'-6''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री शैलेन्द्र खत्री पुत्र श्री ताराचंद खत्री निवासी 10 सी प्रेम नगर, श्रीगंगानगर एवं श्री मंयक मित्तल पुत्र श्री विजय मित्तल निवासी एफ-01 आनंद विहार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री शैलेन्द्र खत्री पुत्र श्री ताराचंद खत्री निवासी 10 सी प्रेम नगर, श्रीगंगानगर एवं श्री मंयक मित्तल पुत्र श्री विजय मित्तल निवासी एफ-01 आनंद विहार, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 17 में भूखण्ड सं. 40 माप 25'-0''गुणा 47'-6''फीट एवं भूखण्ड सं. 41 माप 25'-0''गुणा 47'-6''फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक:- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 05/11/2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 4 में भूखण्ड संख्या का माप 25' गुणा 25' फीट के नियमन / पट्टा हेतु आवेदक श्री सतवीर सिंह यादव पुत्र श्री राम सिंह यादव निवासी भांभू कॉलोनी, गली नं. 01 श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री सतवीर सिंह यादव पुत्र श्री राम सिंह यादव निवासी भांभू कॉलोनी, गली नं. 01 श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 4 में भूखण्ड संख्या का माप 25' गुणा 25' फीट का नियमन / पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 05.11.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 7/8 के किला नं. 24 में भूखण्ड संख्या का माप 15' गुणा 47'6'' फीट के नियमन / पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती रामप्यारी लाल पत्नी स्व.श्री बनावारी लाल एवम श्रीमती शिमला पत्नी श्री बनावारी निवासी गली नं. 01 मीरा विहार मीरा चौक श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती रामप्यारी लाल पत्नी स्व.श्री बनावारी लाल एवम श्रीमती शिमला पत्नी श्री बनावारी निवासी गली नं. 01 मीरा विहार मीरा चौक श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 7/8 के किला नं. 24 में भूखण्ड संख्या का माप 15' गुणा 47'6'' फीट का नियमन /पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

Rajkaj Ref. No. 18513588 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2025/1454 **विज्ञप्ति** दिनांक : 10.11.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 05 किला नं. 23 के क्षेत्रफल 233.33 वर्गगज (215.33 वर्गगज आवासीय + 18 वर्गगज व्यावसायिक) का आवासीय व व्यावसायिक पट्टा संख्या 1125 दिनांक 18.07.2013 द्वारा श्रीमती कान्ता रानी पत्नी श्री डा.सी.एल. गोरखा निवासी श्रीगंगानगर के नाम से जारी है। उक्तानुसार भूखण्ड संख्या 154 क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट का नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त ऑनलाईन नामान्तरण क्रमांक SGNR/FY25-26/MUT/783 दिनांक 25.09.2025 द्वारा श्री राजेश गेरा पुत्र श्री सी. एल. गोरखा निवासी मकान नं. 154, एस.एस.बी. रोड़, शिवा क्लिनिक, चक 3 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से नामान्तरण आदेश जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से मिश्रित (वाणिज्यिक) भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 अनुसार एवं जोनल प्लान अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र का भू-उपयोग मिश्रित हेतु आरक्षित है। मिश्रित भू उपयोग में वाणिज्यिक भू उपयोग अनुज्ञेय है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधिया (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (परमिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय रूपान्तरित से मिश्रित (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2025/1456 **विज्ञप्ति** दिनांक : 10.11.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 4/5 किला नं. 23 के क्षेत्रफल 30'-0" X 75'-0" Feet का आवासीय पट्टा संख्या 6579 दिनांक 18.09.2017 द्वारा श्री इमीलाल पुत्र श्री निकूराम निवासी श्रीगंगानगर के नाम से जारी है। उक्त मूल आवासीय रूपान्तरित भूखण्ड में से भूखण्ड माप 15 गुणा 50 (पश्चिमी हिस्सा) का नियमानुसार श्री राजेश गेरा पुत्र श्री सी. एल. गोरखा निवासी मकान नं. 154, एस.एस.बी. रोड़, शिवा क्लीनिक, श्रीगंगानगर के नाम से न्यास कार्यालय आदेश क्रमांक नियोजन/2025/1211-1212 दिनांक 17.09.2025 द्वारा उपविभाजन आदेश जारी है। उक्तानुसार भूखण्ड संख्या 155 West Part क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट का नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त ऑनलाईन नामान्तरण क्रमांक SGNR/FY25-26/MUT/782 दिनांक 25.09.2025 द्वारा श्री राजेश गेरा पुत्र श्री सी.एल. गोरखा निवासी मकान नं. 154, एस.एस.बी. रोड़, शिवा क्लिनिक, चक 3 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से नामान्तरण आदेश जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से मिश्रित (वाणिज्यिक) भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035- अनुसार एवं जोनल प्लान अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र का भू-उपयोग मिश्रित हेतु आरक्षित है। मिश्रित भू उपयोग में वाणिज्यिक भू उपयोग अनुज्ञेय है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधिया (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (परमिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही व्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का आवासीय रूपान्तरित से मिश्रित (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

IFFCO **किसान भाइयों से अपील** International Year of Cooperatives 2025

किसान भाइयों, इफको के उन्नत नैनो उत्पाद—नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, आदि—किसी दबाव या अनुचित टैगिंग के प्रभाव में न खरीदें। स्वेच्छा से खरीदें; दबाव डालने पर तुरंत इफको के क्षेत्रीय अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी को शिकायत करें या फिर दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। आपकी सतर्कता हमारी साझा समृद्धि सुनिश्चित करती है। हम सूचित करते हैं की यदि कोई भी विक्रेता सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ टैगिंग करते हुए पाया गया तो इफको उसके साथ सभी प्रकार के व्यवसायिक संबंध समाप्त कर देगी और कड़ी कार्यवाही करेगी।

टोल फ्री न. : 1800 103 1967 मुख्य प्रबंधक जनसम्पर्क

RIICO GROW WITH RAJASTHAN — RISING RAJASTHAN

जयपुर की प्राइम लोकेशन जगतपुरा के रीको अपैरल पार्क में व्यवसायिक भूखंड की ई-नीलामी

भूखंड विवरण
भूखंड संख्या- SPL-5 • मेन 200 फीट महल रोड पर (कॉर्नर प्लॉट)
क्षेत्रफल 5780 वर्ग मीटर

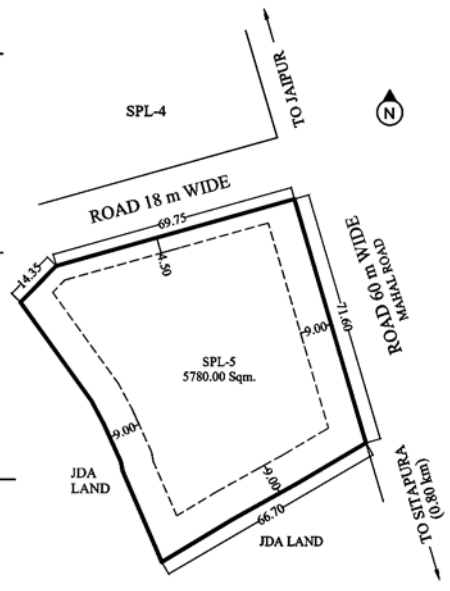

ईएमडी
प्रारम्भ तिथि : 13 नवम्बर, 2025 (प्रातः 10 बजे)
अंतिम तिथि : 27 नवम्बर, 2025 (सायं 6 बजे)

ऑनलाइन बिड
प्रारम्भ तिथि : 28 नवम्बर, 2025 (प्रातः 10 बजे)
अंतिम तिथि : 02 दिसम्बर, 2025 (सायं 5 बजे)

आरक्षित मूल्य ₹2,15,000 प्रति वर्ग मीटर

आवेदन के लिए स्कैन करें

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान

विशेष शर्त: 20% बिल्ट-अप एरिया को GCC/IT/Co-working स्पेस के लिए 20 वर्ष तक किराए/लीज़ पर देना आवश्यक

राज.संवाद/सी/25/13573

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005 • ई-नीलामी हैल्पलाइन - 0141 4593250, 4593237
वाट्सएप - 90013 06515 | riico.rajasthan.gov.in

अपने पुराने बैंक खाते में पैसे जमा करके भूल गए?

जो आपका है उसे वापस दिलाने में आरबीआई आपकी मदद करेगा।

आपके बैंक के निष्क्रिय खाते (2 वर्ष से ज़्यादा और 10 वर्ष तक असक्रिय) में जमा पैसे / दावा न की गई जमा राशि (10 वर्ष से अधिक) को आरबीआई के डीईए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप या आपके क़ानूनी वारिस उसे कभी भी वापस ले सकते हैं।

आपके पैसे वापस पाने के 3 आसान चरण

1. आपके बैंक की किसी भी शाखा में जाएं, भले ही वो आपकी नियमित शाखा न हो।
2. केवाईसी दस्तावेजों (आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस) के साथ फॉर्म जमा करें।
3. सत्यापन के बाद ब्याज समेत, यदि है तो, अपने पैसे वापस पाएं।

दावा न की गई संपत्ति के संबंध में आयोजित विशेष शिविरों में जाएं, जिसे देशभर के सभी ज़िलों में अक्तूबर से दिसंबर 2025 के बीच लगाए जाएँगे।

**आपके दावा न किए गए पैसे के बारे में जानने के ल